



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 644]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 30, 2000/आश्विन 8, 1922

No. 644]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 30, 2000/ASVINA 8, 1922

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2000

का.आ. 904(अ) — राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक और अनुच्छेद 148 के खंड (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा और लेखापरीक्षा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श के पश्चात्, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2000 है।
- (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में, नियम 37 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“37-क किसी सरकारी विभाग के केन्द्रीय स्वायत्त निकाय या पब्लिक सैक्टर उपक्रम में संपरिवर्तन के परिणामस्वरूप आमेलन पर पेंशन के संदाय के लिए शर्तें—

- (1) केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग के पब्लिक सैक्टर उपक्रम या किसी स्वायत्त निकाय में संपरिवर्तन पर उस विभाग के सभी सरकारी सेवक किसी प्रतिनियुक्ति भत्ते के बिना अनर्यत सेवा के निबंधनों पर, यथास्थिति, उस पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में सामूहिक रूप से उस समय तक अंतरित हो जाएंगे जिस तक वे, यथास्थिति, उपक्रम या निकाय में आमेलित हो जाएं और ऐसे अंतरित सरकारी सेवक, यथास्थिति, पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में ऐसी तारीख से आमेलित हो जाएंगे जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।
- (2) केन्द्रीय सरकार, अंतरित सरकारी सेवकों को सरकार में प्रतिवर्तित होने या, यथास्थिति, पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में स्थायी आमेलन प्राप्त करने का विकल्प अनुज्ञात करेगी।
- (3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग अंतरित सरकारी सेवक द्वारा ऐसी रीति में और ऐसी अवधि के भीतर किया जाएगा जो सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।
- (4) सरकारी सेवकों का पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों के रूप में स्थायी आमेलन उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको उनके विकल्प सरकार द्वारा स्वीकार कर लिए गये हों और ऐसी स्वीकृति की तारीख से ही ऐसे कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं रहेंगे और उनके बारे में यह समझा जाएगा कि वे सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।
- (5) पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में सरकारी सेवकों के आमेलन पर वे पद, जिन्हें वे ऐसे आमेलन से पूर्व सरकार में धारित कर रहे थे, समाप्त हो जाएंगे।
- (6) उन कर्मचारियों को जिन्होंने सरकारी सेवा में प्रतिवर्तित होने का विकल्प दिया है, सरकार के अधिशेष प्रकोष्ठ के माध्यम से पुनः तैनात किए जाएंगे।

- (7) ऐसे कर्मचारी जिनके अंतर्गत स्थायीबद्ध और अस्थायी कर्मचारी हैं किन्तु नैमित्तिक मजदूर नहीं हैं, और जिन्होंने पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में स्थायी आमेलन के लिए विकल्प दिया है, आमेलन की तारीख से ही, यथास्थिति, पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय के नियमों और विनियमों या उसकी उपविधियों द्वारा शासित होंगे।
- (8) ऐसा स्थायी सरकारी सेवक जो पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय के कर्मचारी के रूप में आमेलित कर लिया है, उसके द्वारा सरकार में और पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में की गई संयुक्त सेवा के आधार पर उसके, यथास्थिति, पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय से सेवानिवृत्त होने के समय यथाप्रवृत्त इन नियमों के अधीन पेंशन/कुटुम्ब पेंशन की संगणना करने के लिए सूत्र के अनुसार पेंशनिक फायदों के लिए पात्र होगा।
- (9) उपनियम (8) के अधीन किसी कर्मचारी की पेंशन उसके अंतिम दस मास के औसत वेतन के आधार पर संगणित की जाएगी।
- (10) कर्मचारी, यथास्थिति, पेंशन या कुटुम्ब पेंशन के अतिरिक्त, औद्योगिक महंगाई भत्ते के पैटर्न पर महंगाई राहत के पात्र होंगे।
- (11) पेंशन और कुटुम्ब पेंशन के फायदे स्थायीवत् और अस्थायी अंतरित सरकारी सेवकों को, उनके पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में पुष्ट हो जाने के पश्चात् ही उपलब्ध होंगे।
- (12) केंद्रीय सरकार एक न्यास के रूप में पेंशन निधि का सृजन करेगी और आमेलित कर्मचारियों की पेंशनिक फायदे ऐसी पेंशन निधि से संदत्त किए जाएंगे।
- (13) पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय के प्रशासनिक मंत्रालय का सचिव न्यासी बोर्ड का अध्यक्ष होगा और उस बोर्ड के अंतर्गत वित्त, कार्मिक, लोक शिक्षा और पेंशन, श्रम मंत्रालयों, संबद्ध पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय और उनके कर्मचारियों के प्रतिनिधि तथा केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित सुसंगत क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे।
- (14) उस प्रक्रिया और रीति का अवधारण जिसमें पेंशनिक फायदे हैं पेंशन निधि से मंजूर और संवितरित किए जाने और सरकार द्वारा न्यासी बोर्ड की सिफारिश पर किया जाएगा।
- (15) सरकार अपने पेंशनिक दायित्व का, पेंशन निधि में एक बार संदाय के रूप में एकमुश्त राशि, सरकारी सेवक द्वारा उसके पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में आमेलन की तारीख तक की गई सेवा के लिए आनुपातिक पेंशन या सेवा उपदान और सेवानिवृत्ति उपदान का संदाय करके निर्वहन करेगी।
- (16) पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय द्वारा पेंशनिक फायदों के संदाय की मर्दें वित्तीय दायित्व में हिस्सा बटाने की रीति सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी।
- (17) आनुपातिक पेंशन की एकमुश्त रकम केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संशोकरण) नियम, 1981 में अधिकथित संशोकरण सारणी के प्रतिनिर्देश से अवधारित की जाएगी।
- (18) पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय पेंशन निधि में पेंशनिक अंशदान संबद्ध कर्मचारियों द्वारा उस उपक्रम या निकाय के अधीन की गई सेवा की अवधि तक ऐसी दरों से करेगी जो न्यासी बोर्ड द्वारा अवधारित की जाए जिससे पेंशन निधि आत्मनिर्भर हो जाएगी।
- (19) यदि किसी वित्तीय या परिचालन कारण से न्यास पेंशन निधि से अपने दायित्व का पूर्णतया निर्वहन करने में असमर्थ है और पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय उस कमी को पूरा करने की स्थिति में तो सरकार ऐसे व्यय को पूरा करने के लिए दायित्वाधीन होगी और ऐसा व्यय या तो निधि में या यथास्थिति, पब्लिक सैक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय के नामे डाल दिया जाएगा।

(20) किसी सरकारी विभाग के पेंशनभोगियों को पेंशनिक फायदों का संदाय, उसके पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में संपरिवर्तन की तारीख को, सरकार का दायित्व बना रहेगा और इस मद्दे उसके दायित्वों के हिस्से के लिए प्रक्रिया सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी ।

(21) उपनियम (12) से उपनियम(20) तक में अंतर्विष्ट कोई बात दूर संचार सेवा और दूर संचार प्रचालन विभागों के भारत संचार निगम लिमिटेड में संपरिवर्तन की दशा में लागू नहीं होंगी , जिनके मामले में पेंशनिक फायदों का, जिनमें कुटुम्ब पेंशन भी है, संदाय सरकार द्वारा किया जाएगा ।

(22) उपनियम (21) में निर्दिष्ट कुटुम्ब पेंशन सहित पेंशनिक फायदों के संदाय के प्रयोजनों के लिए सरकार व्यवस्थाएं और वह रीति जिसमें पेंशनिक अभिदायों की वह दर भी है जो भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा सरकार को की जानी है और वह रीति जिसमें इस मद्दे वित्तीय दायित्व पूरे किए जाएंगे, विनिर्दिष्ट करेगी ।

(23) उपनियम (22) के अधीन की गई व्यवस्थाएं विद्यमान पेंशन भोगियों और उन कर्मचारियों को लागू होंगी जिनके बारे में यह समझा जाता है कि वे भारत संचार निगम लिमिटेड में आमेलन के लिए सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं और भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा सीधे भर्ती किए गए कर्मचारियों को लागू नहीं होंगी जिनके लिए वह अपनी स्वयं की पेंशन स्कीम तैयार करेगा और पेंशनिक फायदों के वित्तपोषण और संवितरण के लिए व्यवस्थाएं करेगा ।

(24) किसी सरकारी विभाग के पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में संपरिवर्तन होने पर -

(क) पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में आमेलन की तारीख को आमेलित कर्मचारियों के खाते में जमा भविष्य निधि का अतिशेष, ऐसे उपक्रम या निकाय की सहमति से, यथास्थिति, ऐसे उपक्रम या निकाय में कर्मचारियों के नए भविष्य निधि खाते को अंतरित कर दिया जाएगा ;

(ख) आमेलन की तारीख को कर्मचारियों के खाते में जमा उपार्जित छूट्टी और अर्धवेतन छूट्टी, यथास्थिति, ऐसे उपक्रम या निकाय को अंतरित हो जाएंगी ;

(ग) ऐसे उपक्रम या निकाय में किसी कर्मचारी के आमेलन के पश्चात् किसी पश्चातवर्ती अवधार के लिए पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय की सेवा से पद च्युति या हटाया जाना, सरकार के अधीन की गई सेवा के लिए सेवानिवृत्ति फायदों के समपहरण की कोटि में नहीं आएगा और उराकी पद च्युति/ हटाये जाने/छट्टनी की दशा में , उपक्रम या निकाय का विनिश्चय, उपक्रम या निकाय से प्रशासनिक रूप से संबद्ध मंत्रालय द्वारा पुनर्विलोकन किए जाने के अधीन होगा ।

(25) यदि सरकार किसी पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय में अपनी साधारण पूंजी को इक्यावन प्रतिशत या इससे अधिक की सीमा तक अपविनिधान करती है तो वह ऐसे पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय के आमेलित कर्मचारियों के हितों की संरक्षा के लिए पर्याप्त रक्षोपाय विनिर्दिष्ट करेगी ।

(26) उपनियम (25) के अधीन विनिर्दिष्ट रक्षोपायों के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का विकल्प या, यथास्थिति, उपक्रम या निकाय की सेवा में बने रहने, या सरकारी कर्मचारियों या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या स्वायत्त निकाय के कर्मचारियों को लागू शर्तों पर स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति फायदों, अर्हक सेवा की अवधि में शिथिलता के साथ उपार्जित पेंशनिक फायदों के सुनिश्चित संदाय का विकल्प भी है, जैसा सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए ।” ।

[सं. 4/61/99-पी.एंड पी. डब्ल्यू(डी)]

पी.के. बहा, अतिरिक्त सचिव

टिप्पण: केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का०आ० 934, तारीख 01 04 1972 के रूप में प्रकाशित किए गए थे। नियमों का चौथा संस्करण (जुलाई 1988 तक संशोधित) 1988 में मुद्रित किया गया था। तत्पश्चात् ये नियम पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग की नीचे दी गई अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए:

क्रम सं०	अधिसूचना सं०	तारीख
1	का० आ० सं० 254	04.02.1989
2	का० आ० सं० 970	06.05.1989
3.	का० आ० सं० 2467	07.10.1989
4.	का० आ० सं० 899	14.04.1990
5.	का० आ० सं० 1454	26.05.1990
6.	का० आ० सं० 2329	03.09.1990
7.	का० आ० सं० 3269	08.12.1990
8.	का० आ० सं० 3270	08.12.1990
9.	का० आ० सं० 3273	08.12.1990
10.	का० आ० सं० 409	09.12.1991
11.	का० आ० सं० 464	16.02.1991
12.	का० आ० सं० 2287	07.09.1991
13.	का० आ० सं० 2740	02.11.1991
14.	सा० का० नि० सं० 677	07.12.1991
15.	सा० का० नि० सं० 39	01.02.1992
16.	सा० का० नि० सं० 55	15.02.1992
17.	सा० का० नि० सं० 570	19.12.1992
18.	का० आ० सं० 258	13.02.1993
19.	का० आ० सं० 258	13.02.1993
20.	का० आ० सं० 1673	07.08.1993
21.	सा० का० नि० सं० 449	11.09.1993
22.	का० आ० सं० 1984	25.09.1993
23.	सा० का० नि० सं० 389(अ)	18.04.1994
24.	का० आ० सं० 1775	19.07.1997
25.	का० आ० सं० 259	30.01.1999

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Pension and Pensioners' Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2000

S.O. 904(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 and clause (5) of article 148 of the Constitution and after consultation with the Comptroller and Auditor General of India in relation to persons serving in the Indian Audit and Accounts Department, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Civil Services (Pension) Amendment Rules, 2000.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, after rule 37, the following rule shall be inserted, namely:-

“37A. Conditions for payment of pension on absorption consequent upon conversion of a Government Department into a Central autonomous body or a Public Sector Undertaking. –

- (1) On conversion of a department of the Central Government into a public sector undertaking or an autonomous body, all Government servants of that Department shall be transferred en-masse to that public sector undertaking or autonomous body,

as the case may be, on terms of foreign service without any deputation allowance till such time as they get absorbed in the said undertaking or body, as the case may be, and such transferred Government servants shall be absorbed in the public sector undertaking or autonomous body, as the case may be, with effect from such date as may be notified by the Government.

- (2) The Central Government shall allow the transferred Government servants an option to revert back to the Government or to seek permanent absorption in the public sector undertaking or autonomous body, as the case may be.
- (3) The option referred to in sub-rule (2) shall be exercised by every transferred Government servant in such manner and within such period as may be specified by the Government.
- (4) The permanent absorption of the Government servants as employees of the public sector undertaking or autonomous body shall take effect from the date on which their options are accepted by the Government and on and from the date of such acceptance, such employees shall cease to be Government servants and they shall be deemed to have retired from Government service.
- (5) Upon absorption of Government servants in the public sector undertaking or autonomous body, the posts which they were holding in the Government before such absorption shall stand abolished.
- (6) The employees who opt to revert to Government service shall be re-deployed through the surplus cell of the Government.
- (7) The employees including quasi-permanent and temporary employees but excluding casual laborers, who opt for permanent absorption in the public sector undertaking or autonomous body, shall on and from the date of absorption, be governed by the rules

- and regulations or bye-laws of the public sector undertaking or autonomous body, as the case may be.
- (8) A permanent Government servant who has been absorbed as an employee of a public sector undertaking or autonomous body shall be eligible for pensionary benefits on the basis of combined service rendered by him in the Government and in the public sector undertaking or autonomous body in accordance with the formula for calculation of pension/family pension under these rules as may be in force at the time of his retirement from the public sector undertaking or autonomous body, as the case may be.
- (9) The pension of an employee under sub-rule (8) shall be calculated on the basis of his last ten months' average pay.
- (10) In addition to pension or family pension, as the case may be, the employees shall also be eligible to dearness relief as per industrial dearness allowance pattern.
- (11) The benefits of pension and family pension shall be available to quasi- permanent and temporary transferred Government servants after they have been confirmed in the public sector undertaking or autonomous body.
- (12) The Central Government shall create a Pension Fund in the form of a trust and the pensionary benefits of absorbed employees shall be paid out of such Pension Fund.
- (13) The Secretary of the administrative Ministry of the public sector undertaking or autonomous body shall be the Chairperson of the Board of Trustees which shall include representatives of the Ministries of Finance, Personnel, Public Grievances and Pensions, Labour, concerned public sector undertaking or autonomous body and their employees and experts in the relevant field to be nominated by the Central Government.

- (14) The procedure and the manner in which pensionary benefits are to be sanctioned and disbursed from the Pension Fund shall be determined by the Government on the recommendation of the Board of Trustees.
- (15) The Government shall discharge its pensionary liability by paying in lump sum as a one time payment to the Pension Fund the pro rata pension or service gratuity and retirement gratuity for the service rendered till the date of absorption of the Government servant in the public sector undertaking or autonomous body.
- (16) The manner of sharing the financial liability on account of payment of pensionary benefits by the public sector undertaking or autonomous body shall be determined by the Government.
- (17) Lump sum amount of the pro rata pension shall be determined with reference to Commutation Table laid down in Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981.
- (18) The public sector undertaking or autonomous body shall make pensionary contribution to the Pension Fund for the period of service to be rendered by the concerned employees under that undertaking or body at the rates as may be determined by the Board of Trustees so that the Pension Fund shall be self-supporting.
- (19) If, for any financial or operational reason, the Trust is unable to discharge its liabilities fully from the Pension Fund and the public sector undertaking or autonomous body is also not in a position to meet the shortfall, the Government shall be liable to meet such expenditure and such expenditure shall be debited to either the Fund or to the public sector undertaking or autonomous body, as the case may be.

- (20) Payments of Pensionary benefits of the pensioners of a Government Department on the date of conversion of it into a public sector undertaking or autonomous body shall continue to be the responsibility of the Government and the mechanism for sharing its liabilities on this account shall be determined by the Government.
- (21) Nothing contained in sub-rules (12) to (20) shall apply in the case of conversion of the Departments of Telecom Services and Telecom Operations into Bharat Sanchar Nigam Limited, in which case the pensionary benefits including family pension shall be paid by the Government.
- (22) For the purposes of payment of pensionary benefits including family pension referred to in sub-rule (21), the Government shall specify the arrangements and manner including the rate of pensionary contributions to be made by Bharat Sanchar Nigam Limited to the Government and the manner in which financial liabilities on this account shall be met
- (23) The arrangements under sub-rule (22) shall be applicable to the existing pensioners and to the employees who are deemed to have retired from the Government service for absorption in Bharat Sanchar Nigam Limited and shall not apply to the employees directly recruited by the Bharat Sanchar Nigam Limited for whom it shall devise its own pension scheme and make arrangements for funding and disbursing the pensionary benefits.
- (24) Upon conversion of a Government department into a public sector undertaking or autonomous body –
- (a) the balance of provident fund standing at the credit of the absorbed employees on the date of their absorption in the public sector undertaking or autonomous body shall, with the consent of such undertaking or body, be transferred to the new Provident Fund Account of the employees in such undertaking or body, as the case may be;

- (b) earned leave and half pay leave at the credit of the employees on the date of absorption shall stand transferred to such undertaking or body, as the case may be;
- (c) the dismissal or removal from service of the public sector undertaking or autonomous body of any employee after his absorption in such undertaking or body for any subsequent misconduct shall not amount to forfeiture of the retirement benefits for the service rendered under the Government and in the event of his dismissal or removal or retrenchment the decisions of the undertaking or body shall be subject to review by the Ministry administratively concerned with the undertaking or body.
- (25) In case the Government disinvests its equity in any public sector undertaking or autonomous body to the extent of fifty-one per cent. or more, it shall specify adequate safeguards for protecting the interests of the absorbed employees of such public sector undertaking or autonomous body.
- (26) The safeguards specified under sub-rule (25) shall include option for voluntary retirement or continued service in the undertaking or body, as the case may be, or voluntary retirement benefits on terms applicable to Government employees or employees of the public sector undertaking or autonomous body as per option of the employees, assured payment of earned pensionary benefits with relaxation in period of qualifying service, as may be decided by the Government.”.

[No. 4/61/99-P&PW(D)]

P.K. BRAHMA, Addl. Secy.

Note: The Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 were published as S.O. 934 dated 1.4.72. The fourth edition(corrected up to July,1988) of the Rules was printed in 1988. The Rules were subsequently amended vide Department of Pension and Pensioners' Welfare Notification given below:

<u>S.No.</u>	<u>Notification No.</u>	<u>Date</u>
1.	S.O. No. 254	4.2.1989
2.	S.o. No. 970	6.5.1989
3.	S.O.No. 2467	7.10.1989
4.	S.O.No.899	14.4.1990
5.	S.O.No. 1454	26.5.1990
6.	S.O.No.2329	8.9.1990
7.	S.O.No. 3269	8.12.1990
8.	S.O.No. 3270	8.12.1990
9.	S.O.No. 3273	8.12.1990
10.	S.O.No. 409	9.12. 1991
11.	S.O.No. 464	16.2.1991
12.	S.O.No. 2287	7.9.1991
13.	S.O.No. 2740	2.11.1991
14.	GSR No. 677	7.12.1991
15.	GSR No. 39	1.2.1992
16.	GSR No. 55	15.2.1992
17.	GSR No. 570	19.12.1992
18.	S.O.No. 258	13.2.1993
19.	S.O.No.258	13.2.1993
20.	S.O.No. 1673	7.8.1993
21.	GSR No. 449	11.9.1993
22.	S.O. No. 1984	25.9.1993
23.	GSR 389(E)	18.4.1994
24.	S.O.No. 1775	19.7.1997
25.	S.O.No. 259	30.1.1999

